रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122022-241445
CG-DL-E-27122022-241445

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5829] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 27, 2022/पौष 6, 1944
No. 5829] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 27, 2022/PAUSHA 6, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2022

सं. 50/2015–2020

विषय : अनन्य रुप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल से लिए गए और जब्त किए गए स्रोत से प्राप्त रेड सैन्डर्स वुड की निर्यात नीति के संशोधन के संबंध में।

का.आ. 6072(अ).—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2018, की अनुसूची–2 (निर्यात नीति) के अध्याय–44 के अंतर्गत रेड सैन्डर्स (टेरोकार्पस सैंटुलाइनस) की नीतिगत शर्त में संशोधन करती है।

2. निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची–2 के अध्याय 44 में क्रम सं. 188 और 188क के सामने मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क्रम सं.	एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
188	4403 99 18 4407 99 90	कि० ग्रा०	क्रम सं. 188क [निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल के] और क्रम सं. 189 [वैध स्रोतों से प्राप्त रेड सैन्डर्स वुड के विनिर्दिष्ट मूल्य वर्धित उत्पाद और रेड सैन्डर्स वुड से बने अन्य हस्तशिल्प] को छोड़कर) किसी भी रुप में रेड सैन्डर्स वुड (आरएसडब्ल्यू), चाहे वे कच्चे, संसाधित या गैर–संसाधित हों।	निषिद्ध	निर्यात किए जाने की अनुमति नहीं है। तथापि, बीएसआई नडीएफ रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार रेड सैन्डर्स (टेरोकार्पस सैंटुलाइनस) हेतु निम्नलिखित वार्षिक निर्यात कोटा अनुमत है क. कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए रेड सैन्डर्स हेतु आन्ध्र प्रदेश के लिए 280 मी.ट. का एक वार्षिक निर्यात कोटा (अप्रैल से मार्च)ः और ख. रेड सैन्डर्स के वन्य नमूने हेतु शून्य निर्यात कोटाः **निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः–** i. राज्य सरकार भू संदर्भित साइटों और एमआईएस के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगी जिसमें पेड़ों की संख्या, उनकी आयु और तने तक की ऊंचाई पर उनक व्यास दिया जाएगा। ii. राज्यों के कार्य योजना दिशानिर्देशों में वन्य और गैर वन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण से रेड सैंडर्स वुड की दीर्घकालिक फसल हेतु अनुमोदित आवर्तन अवधि के साथ विशिष्ट प्रबंधन योजना/फसल योजना शामिल करने की आवश्यकता है।	भारतीय सीआईटीईएस प्रबंधन प्राधिकरण (सीआईटीईएसएमए) भी राज्यों, डीआरआई और सीमा शुल्क द्वारा उठाई गई मांगों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से जब्त/कब्जा में लिए गए रेड सैंडर्स के निर्यात की निर्यात के समय सीआईटीईएस की पूर्ति और केवल राज्यों, डीआरआई और सीमा शुल्क द्वारा एमओईएफएंडसीसी को रिपोर्ट की गई अधिकतम मात्रा तक, जैसा कि अनुलग्नक–I (कुल कोटा 13,301.69822 मी.टन) में उल्लिखित है के अधीन अनुमति देगा। तथापि, आन्ध्र प्रदेश सरकार, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), तमिलनाडु सरकार, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार को स्वयं अथवा इनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी फर्म/फर्मों द्वारा जब्त किए गए/कब्जा में लिए गए भंडार में से क्रमशः 8498. 095 मीट्रिक टन, 1200 मीट्रिक टन, 299.732 मीट्रिक टन, 83.40 मीट्रिक टन तथा 186.588 मीट्रिक टन रेड सैन्डर्स वुड (लट्ठे रुप में) के निर्यात के लिए एककालिक छूट प्रदत्त पूर्व में डीजीएफटी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार जारी रहेगी।

188क	4403 99 18	कि. ग्रा.	अनन्य रुप से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त कृषि मूल के लट्ठा रुप में और जड़ रुप में रेड सैन्डर्स वूड	प्रतिबंधित	निम्नलिखित शर्तों/प्रलेखन के अध्यधीन लाइसेन्स के तहत निर्यात की अनुमतिः (i) निर्यात लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्रों के साथ उस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) द्वारा जारी उद्गम प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए जहां से स्टॉक खरीदा/निर्यात किया गया जिसमें वैध स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण हो; (ii) इस तरह खरीदे गए और आवेदक के पास उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति के बारे में इस प्रयोजन के लिए पीसीसीएफ द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा स्टॉक के वास्तविक सत्यापन के बाद दिया गया प्रमाण पत्र भी निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ होना चाहिए। (iii) निर्यात लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अन्य किन्ही शर्तों जैसे एमईपी, साइट्स के अंतर्गत मात्रात्मक सीमा की शर्त आदि जैसाकि समय–समय पर निर्धारित किया जाए, के अध्यधीन होंगे;	निम्नलिखित शर्तों/प्रलेखन के अध्यधीन लाइसेन्स के तहत निर्यात की अनुमतिः (i) निर्यात लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्रों के साथ उस राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) द्वारा जारी उद्गम प्रमाण की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए जहां से स्टॉक खरीदा/निर्यात किया गया जिसमें वैध स्रोतों से खरीद की तारीख और खरीदी गई मात्रा का विवरण हो; (ii) इस तरह खरीदे गए और आवेदक के पास उपलब्ध स्टॉक की वर्तमान स्थिति के बारे में इस प्रयोजन के लिए पीसीसीएफ द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा स्टॉक के वास्तविक सत्यापन के बाद दिया गया प्रमाण पत्र भी निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ होना चाहिए। (iii) निर्यात लाइसेन्स जारी करने के लिए आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा जो अन्य किन्ही शर्तों जैसे एमईपी, साइट्स के अंतर्गत मात्रात्मक सीमा की शर्त आदि जैसाकि समय–समय पर निर्धारित किया जाए, के अध्यधीन होंगे; (iv) भारतीय साइट्स प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक वार्षिक कोटा निर्धारित

					(iv) भारतीय साइट्स प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक वार्षिक कोटा निर्धारित करेगा जिसकी एनडीएफ अध्ययन या सरकारी एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर समीक्षा की जा सकती है;	करेगा जिसकी एनडीएफ अध्ययन या सरकारी एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर समीक्षा की जा सकती है; तथापि, बीएसआई एनडीएफ रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार रेड सैन्डर्स (टेरोकार्पस सैंटुलाइनस) हेतु निम्नलिखित वार्षिक निर्यात कोटा अनुमत हैः क. कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए रेड सैन्डर्स हेतु आन्ध्र प्रदेश के लिए 280 मि.ट. का एक वार्षिक निर्यात कोटा (अप्रैल से मार्च): और ख. रेड सैन्डर्स के वन्य नमूने हेतु शून्य निर्यात कोटाः **निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः—** i. राज्य सरकार भू संदर्भित साइटों और एमआईएस के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगी जिसमें पेड़ों की संख्या, उनकी आयु और तने तक की ऊंचाई पर उनक व्यास दिया जाएगा। ii. राज्यों की कार्य योजना दिशानिर्देशों में वन्य और गैर वन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण से रेड सैंडर्स वुड की दीर्घकालिक फसल हेतु अनुमोदित आवर्तन अवधि के साथ विशिष्ट प्रबंधन योजना/फसल योजना शामिल करने की आवश्यकता है।

अनुलग्नक 1:

क्र.सं.	राज्य / एजेंसी	मंत्रालय को राज्य द्वारा रिपार्ट की गई मात्रा (मी.टन)
1.	**आंध्र प्रदेश**	**5376.043**
2.	**असम**	**161.04**
3.	**छत्तीसगढ**	**2.354**
4.	**गुजरात**	**89.545992**
5.	**मध्य प्रदेश**	**28.435**
6.	**मणिपुर**	**45.37705**
7.	**तमिलनाडु**	**747.0509**
8.	**तेलंगाना**	**150.391**
9.	**राजस्थान**	**41.70897**
10.	**महाराष्ट्र**	**618.781**
11.	**उत्तर प्रदेश**	**51.71666**
12.	**हरियाणा**	**174.291**
13.	**कर्नाटक**	**50.02825**
14.	**डीआरआई**	**3857.564**
15.	**सेमाशुल्क**	**1907.365**
	कुल	**13301.691822**

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए और जब्त किए गए रेड सैंडर्स वुड / लॉग्स दोनों हेतु रेड सैंडर्स कोटा क्रम सं. 188 और 188क के तहत अधिसूचित किया गया है।

[फा. सं. 01 / 91 / 180 / 03 / एएम–19 ईसी / ई–33958]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2022

No. 50/ 2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Red Sanders wood exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland) and Confiscated source—regarding

S.O. 6072(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act,1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of Red Sanders (Pterocarpussantulinus) under Chapter 44 of ITC (HS), 2018, Schedule — 2 (Export Policy).

2. The existing entries against SI. No. 188 and 188A in Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be substituted as follows:

S.No	HS Code	Unit	Item Description	Export Policy	Current Policy Condition	Revised Policy Condition
188	44039918 44079990		Red Sanders wood in any form, whether raw, processed or unprocessed, except at Sl. No. 188A [of cultivation origin obtained from private land (including Pattaland)] and SI. No. 189 [specified value added products of RSW and other handicrafts made from RSW procured from legal sources] below	Prohibited	Not permitted to be Exported However, in accordance with the recommendations of the BSI NDF Report, MoEF&CC , the following annual export quotas for red sanders (Pterocarpussantulinus) is allowed: An annual export quota (April to March) of 280 MT for Andhra Pradesh for artificially Propagated red sanders: and a zero export quota for wild specimens of red sanders: subject to the following conditions :- State Govt shall develop a digital platform with Geo referenced sites and MIS giving the no of trees, their age and diameter at breast height. The working plan Guidelines of States need to include specific management plans/ harvest Plans with approved rotation periods for sustainable harvest of red sanders wood from plantations in forest and non forest areas.	The CITES Management Authority of India (CITESMA) will also permit export of seized/confiscated red sanders in a phased manner as per the demands raised by the States, DRI and Customs subject to fulfilment of CITES at the time of export and only up to a maximum of the amounts reported to MoEF&CC by the States, DRI and Customs as mentioned in Annexure - I (total quota 13,301.69822 MT) . However, one time relaxation granted to Govt. of Andhra Pradesh, Directorate of Revenue Intelligence (DRI), Govt. of Tamil Nadu, Govt. of Maharashtra and Government of Karnataka for export of 8498.095 MTs, 1200 MTs, 299.732 MTs, 83.40 MTs and 186.588 MTs respectively of Red Sanderswood (in log form) obtained out of confiscated/seized stock, either by itself or through any entity / entities so authorized by them will continued to be followed as per Notifications issued by DGFT in the past.
188A	44039918 44079990	Kg	Red Sanders wood in log form and roots,exclusively of cultivation origin obtained from private land (including Pattaland)	Restricted	Export permitted under license subject to the following conditions /documentation: (i) Applications for export license should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) of the State from where the	Export permitted under license subject to the following conditions /documentation: (i) Applications for export license should be accompanied by attested copies of certificate of origin issued by the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) of the State from where the

					stocks were procured / exported,giving details of the date of procurement from legal sources and quantities procured; (ii) A certificate of the current positionof stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks,by the authority nominated for the purpose by the PCCF,should also accompany application for export license. (iii) The applications shall be considered on merits for issue of export license, which shall be subject to any other conditions such as MEP, quantity ceilings requirements under CITES, etc. as may be prescribed from time to time; (iv)As per there commendation of CITES Management Authority India, the MOEF&CC will fix an yearly quota,which may be reviewed based on NDF study or recommendations of the Government agencies;	stocks were procured / exported,givingdetailsof the date of procurement from legal sources and quantities procured; (ii) A certificate of the current positionof stocks so procured and available with the applicant given after physical verification of the stocks, by the authority nominated for the purpose by the PCCF,should also accompany application for export license. (iii) The applications shall be considered on merits for issue of export license, which shall be subject to any other conditions such as MEP, quantity ceilings requirements under CITES, etc. as may be prescribed from time to time; (iv) As per the recommendation of CITES Management Authority India, the MOEF & CC will fix an yearly quota, which may be reviewed based on NDF study or recommendations of the Government agencies; However, in accordance with the recommendations of the BSI NDF Report, MoEF&CC , the following annual export quotas for red sanders (Pterocarpus santulinus) is allowed: (a) An annual export quota (April to March) of 280 MT for Andhra Pradesh for artificially Propagated red sanders: and (b) a zero export quota for wild specimens of red sanders: subject to the following conditions :- (i) State Govt shall

						develop a digital platform with Geo referenced sites and MIS giving the no of trees, their age and diameter at breast height. (ii) The working plan Guidelines of States need to include specific management plans/ harvest Plans with approved rotation periods for sustainable harvest of red sanders wood from plantations in forest and non forest areas

Annexure 1:

S.No.	State/Agency	Amount reported by State to Ministry (MT)
1.	Andhra Pradesh	5376.043
2.	Assam	161.04
3.	Chhattisgarh	2.354
4.	Gujarat	89.545992
5.	Madhya Pradesh	28.435
6.	Manipur	45.37705
7.	Tamil Nadu	747.0509
8.	Telangana	150.391
9.	Rajasthan	41.70897
10.	Maharashtra	618.781
11.	Uttar Pradesh	51.71666
12.	Haryana	174.291
13.	Karnataka	50.02825
14.	DRI	3857.564
15.	Customs	1907.365
	Total	13301.691822

3. **Effect of this Notification**:

Red Sanders quota for both Artificially propagated and confiscated red sander wood/logs is notified under Sl. No. 188 and 188A.

[F. No. 01/91/180/03/AM-19/EC/E- 33958]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.12.27 21:56:00 +05'30'